5.13 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख, स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई विनियम निर्मित नहीं किये गये हों और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्य कर सकेगा, जैसा कि आयोग उचित समझे ।

5.14 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (वर्ष 1986 का क्रमांक 68) सहित तत्समय में प्रभावशील किसी अन्य विधि के अंतर्गत दिये गये उपभोक्ता के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकेगा ।

5.15 विनियम नामतः ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2004 (जी–3, वर्ष 2004)'' जो राजपत्र की अधिसूचना क्रमांक 1003/म.प्र.वि.नि.आ./2004 दिनांक 30.4.2004 द्वारा संशोधनों के साथ सहपठित है । जैसा कि वह इस विनियम की विषय–वस्तु के साथ प्रयोज्य है, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

टीप : इस **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009''** के हिन्दी रूपांतरण की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, आयोग सचिव

परिशिष्ट : एक

फोरम/विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाला अभ्यावेदन का प्ररूप

क्रमांक .... वर्ष .... दिनांक ....

(कार्यालय द्वारा भरा जावे)

प्रति

अध्यक्ष / विद्युत लोकपाल*,
(फोरम / विद्युत लोकपाल का पता)*
....

महोदय,

विषय : .... के विरूद्ध शिकायत

(वितरण केन्द्र तथा अनुज्ञप्तिधारी का नाम)

असंतुष्ट उपभोक्ता, जिसका नाम नीचे दर्शाया गया है, द्वारा फोरम / विद्युत लोकपाल को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था । शिकायत का विवरण निम्नानुसार है :–

1. उपभोक्ता का नाम : ———————————————————

2. उपभोक्ता का पूरा पता : ———————————————————
   पिन कोड : ———————————————————
   दूरभाष क्रमांक / फैक्स क्रमांक : ———————————————————

3. वितरण केन्द्र तथा अनुज्ञप्तिधारी का पूरा नाम, : ———————————————
   पता, पिन कोड, दूरभाष क्रमांक / फैक्स क्रमांक :———————————————

4. संयोजन का विवरण तथा उपभोक्ता का लेखा क्रमांक : ———————————————
   (कृपया संयोजन का प्रकार दर्शायें)

5. उपभोक्ता द्वारा वितरण केन्द्र / फोरम को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि : ———————————————————————————————
   (कृपया अभ्यावेदन की तीन प्रतियां संलग्न करें)

6. अभ्यावेदन की विषय–वस्तु : ———————————————————————————
   ———————————————————————————————————

7. अभ्यावेदन का विवरण (यदि विवरण प्रस्तुति हेतु स्थान कम हो तो पृथक पृष्ठ पर विवरण दर्शायें) : ———————————————————————————————
   ———————————————————————————————————
   ———————————————————————————————————

8. क्या उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी/फोरम* का अन्तिम निर्णय प्राप्त कर लिया गया है ?

(यदि हां, तो फोरम के आदेश के अन्तिम प्रसारित निर्णय की 'तीन प्रतियां' संलग्न करें)

9. फोरम/विद्युत लोकपाल से वांछित राहत का स्वरूप

————————————————————————————————————

10. उपभोक्ता द्वारा दावा की गई आर्थिक हानि का प्रकार एवं तत्संबंधी राशि, यदि कोई हो जो क्षतिपूर्ति के बतौर चाही गई है, रूपये ——————————————————

(कृपया यह दर्शाये जाने हेतु कि इस प्रकार हुई हानि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की किसी कथित क्रिया, कृत अथवा अकृत, चूक के परिणामस्वरूप हुआ है बाबत लिखित प्रमाण, यदि कोई हों तो संलग्न करें)

11. संलग्न अभिलेखों की सूची

(कृपया समस्त अभिलेखों की 'तीन प्रतियां' संलग्न करें)

12. **घोषणा** :

(अ) मैं/हम निम्न उपभोक्ता/उपभोक्तागण एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि

(1) उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी सत्य एवं सही है; तथा

(2) मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त कॉलमों में तथा एतद् द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में किसी तथ्य को न तो छुपाया गया है अथवा न ही किसी प्रकार से अनुचित अभ्यावेदित किया गया है ।

(ब) मेरे/हमारे पास पूर्ण विश्वसनीय उपलब्ध जानकारी के अनुसार मेरे/हमारे अभ्यावेदन की विषय–वस्तु को मेरे द्वारा अथवा हम में से किसी के द्वारा अथवा विषय वस्तु से संबद्ध किसी पक्षकार द्वारा इससे पूर्व फोरम/विद्युत लोकपाल* कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(स) मेरे/हमारे अभ्यावेदन से संबंधित विषय–वस्तु का फोरम/विद्युत लोकपाल कार्यालय के द्वारा किन्हीं पूर्व कार्यवाहियों के माध्यम से निपटान नहीं किया गया है ।

(द) प्रस्तुत अभ्यावेदन संबंधी विषय–वस्तु का किसी प्राधिकरण/न्यायालय/मध्यस्थ द्वारा निर्णय नहीं किया गया है ।

अथवा

प्रस्तुत अभ्यावेदन संबंधी विषय–वस्तु दिनांक .... से ....

(कृपया प्राधिकरण/न्यायालय/मध्यस्थ जिसके समक्ष प्रकरण लंबित है के नाम का

उल्लेख करें) के समक्ष लंबित है तथा कार्यवाहियों संबंधी अन्तिम न्यायलयीन निर्णय होने में समय लगने की संभावना है ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(उपभोक्ता का पूरा नाम)

नामांकन : यदि उपभोक्ता उसके प्रतिनिधि को उसकी ओर से फोरम/विद्युत लोकपाल* अथवा विद्युत लोकपाल के कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत होने तथा प्रस्तुतिकरण करने हेतु नामांकित करना चाहे तो उसे निम्न घोषणा प्रस्तुत करनी होगी :–

मैं/हम, जो उपरोक्त कथित उपभोक्ता/उपभोक्तागण हैं, एतद् द्वारा श्री/श्रीमति ...., जो अधिवक्ता नहीं है तथा जिसका पता .... है, को मेरा/हमारा प्रतिनिधि नामांकित करता/करती/करते हूं/हैं तथा उसके/उनके द्वारा प्रस्तुत कोई अभिकथन, स्वीकारोक्ति अथवा अस्वीकारोक्ति मेरे/हम पर बंधनकारी होगा/होगी । इनके द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया ।

स्वीकार किया गया

(प्रतिनिधि के हस्ताक्षर) (उपभोक्ता के हस्ताक्षर)

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

नोट : शपथ–पत्र लगाया जाना आवश्यक नहीं है ।